न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2017/00070 **दायरा दिनांक : 17.03.2017**

उनवान

दुलेसिंह पुत्र भैरूसिंह, जाति बगड़ावत राजपूत, निवासी निपानिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ – मृतक जरिये कायम मुकामान –

1/1– मदन सिंह पुत्र दुलेसिंह, आयु 32 वर्ष, जाति बगड़ावत राजपूत, निवासी निपानिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

1/2– खुमान सिंह पुत्र दुलेसिंह, आयु 30 वर्ष, जाति बगड़ावत राजपूत, निवासी निपानिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

1/3– भगवान सिंह पुत्र दुलेसिंह, आयु 28 वर्ष, जाति बगड़ावत राजपूत, निवासी निपानिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

1/4– निहाल बाई पुत्री दुलेसिंह, आयु 25 वर्ष, जाति बगड़ावत राजपूत, निवासी निपानिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– गंगाराम पुत्र औकार सिंह, जाति बगड़ावत राजपूत, निवासी निपानिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2– सरदार सिंह पुत्र भैरूसिंह, जाति बगड़ावत राजपूत, निवासी निपानिया झाला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गंगधार, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री औकारेश्वर शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 20.06.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – 27/2016 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.05.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट नं. 1 गंगाराम ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम निपानियां झाला पटवार मण्डल कुण्डला, तहसील गंगधार की जमाबंदी सम्वत 2063–2066 के नया खाता संख्या 46 पुराना खाता संख्या 47 के खसरा नम्बर 182 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 183 रकबा 3.04 बीघा, खसरा नम्बर 184 रकबा 1.06 बीघा, खसरा नम्बर 185 रकबा 1.04 बीघा, खसरा नम्बर 186 रकबा 1.01 बीघा, खसरा नम्बर 190 रकबा 1.03 बीघा, खसरा नम्बर 284 रकबा 2.03 बीघा, खसरा नम्बर 307 रकबा 2.16 बीघा, खसरा नम्बर 309 रकबा 0.04 बीघा, खसरा नम्बर 310 रकबा 2.02 बीघा, खसरा नम्बर 312 रकबा 0.08 बीघा गै0 मु0 चा0, खसरा नम्बर 313 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नम्बर 314 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नम्बर 315 रकबा 4.17 बीघा, खसरा नम्बर 316 रकबा 0.04 बीघा, खसरा नम्बर 317 रकबा 3.17 बीघा, खसरा नम्बर 335 रकबा 0.04 बीघा, खसरा नम्बर 336 रकबा 3.05 बीघा, व खसरा नम्बर 337 रकबा 0.02 बीघा गै0 मु0 चा0 कुल किता 19 रकबा 27.04 बीघा लगान 74.48 रूपये आराजी में से 2/3 भाग का वादी खातेदार कृषक है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.05.2016 से वाद वादी स्वीकार किया तथा ग्राम निपानिया झाला के जमाबंदी सम्वत 2063–2066 खाता संख्या 46 किता 19 रकबा 27.04 बीघा भूमि स्थित है। उक्त आराजी खाता संख्या 46 किता 19

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रकबा 27.04 बीघा की डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि वादी व प्रतिवादी के मध्य अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी आराजी का बंटवारा प्रस्ताव राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के तहत तैयार करने के आदेश जारी कर पालना हेतु तहसीलदार गंगधार व पटवारी हल्का को भिजवायी जावे के आदेश दिये, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अपीलांट/प्रतिवादीगण के द्वारा वादी के वाद पत्र का जवाब मय काउंटर क्लेम के पेश किया गया था जिसमें विशेष आपत्ति की मद नं. 1 में परिवार का शजरा बनाया गया है। अमर सिंह के अविवाहित फौत होने से उसके हिस्से की आराजी भैरूसिंह और औकारसिंह दोनों का हिस्सा बराबर प्राप्त हुई है इस कारण वादग्रस्तआराजी में वादीगण और प्रतिवादीगण का 1/2–1/2 हिस्सा बनता है, किन्तु राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत करके बिना किसी आधार पर वादी गंगाराम ने अमरसिंह के खाते की आराजी स्वयं के नाम दर्ज करवा ली उसका हिस्सा 2/3 गलत दर्ज किया गया है। वादी गंगाराम मौखिक रूप से यह आश्वासन देता आया था कि वह आराजी को 1/2 – 1/2 दर्ज करवा देगा और इसी अनुसार आराजी का मौके पर विभाजन हो रहा है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में खानापूर्ति करने के लिए और प्रकरण में काउंटर क्लेम पेश होने के बाद भी इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया और प्रतिवादीगण की गैर हाजरी में वादी का वाद डिक्री कर दिया है जिससे प्रतिवादीगण को न्याय प्राप्त नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है क्योंकि उनको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है। प्रकरण में काउंटर क्लेम होने के बाद विधि अनुसार तनकी बनाई जानी चाहिए थी और तनकी पर साक्ष्य ली जाकर तनकी अनुसार निर्णय पारित करना चाहिए था इसलिए भी यह डिक्री निरस्त होने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार का निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2016 अपास्त किया जाकर वाद पत्र के काउंटर क्लेम में चाहा गया अनुतोष अपीलांट को दिलाया जावे। खर्चा हर दो अदालत दिलाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 21.11.2016 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील के साथ अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 व धारा 151 जा0 दी0 पेश कर कथन किया कि प्रथम दृष्टया व सुविधाओं का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है। प्रार्थी अपीलांट ने वाद पत्र का जवाब मय काउटर क्लेम पेश किया था, जिसमें यह प्रकट कर दिया था कि अमरसिंह की मृत्यु अविवाहित हो गई है उसका हिस्सा उसके दोनों भाइयों भैरू सिंह और औंकारसिंह को हिस्सा बराबर प्राप्त हुआ है। वादी गंगाराम को 2/3 हिस्सा दर्ज होना गलत है। जबकि वादी और प्रतिवादीगण दोनों को 1/2 – 1/2 हिस्सा मिलना चाहिए। इस काउंटर क्लेम के बाद भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में खाना पूर्ति करने के लिए प्रतिवादीगण की गैर हाजरी में वाद डिक्री कर दिया जिससे अपीलांट को न्याय नहीं मिला है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है जिसकी पालना अगर की गई तो अपीलांट को सारवार क्षति होगी क्योंकि मौके पर पक्षकारान के मध्य आराजी का बंटवारा 1/2 – 1/2 हिस्से में हो रहा है। मौके पर झगडे के हालात पैदा हो जायेगे इसलिए अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री की पालना स्थगन योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार की डिक्री दिनांक 18.05.2016 की पालना ताफैसला अपील स्थगित फरमायी जावे। मौके और रेकार्ड की स्थिति यथावत् रखी जावे।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोंडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा.

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि गंगाराम ने दावा पेश किया विवादित आराजी 19 किता की 27.04 बीघा ग्राम निपानिया झाला में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगधार ने राजस्व लोक अदालत कैम्प कूण्डला में वादी व प्रतिवादी के मध्य अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी आराजी का बंटवारा प्रस्ताव राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के तहत तैयार करने के आदेश दिये ओर पालना हेतु तहसीलदार गंगधार को बंटवारा प्रस्ताव हेतू आदेशित किया। वादी/रेस्पोडेंट को 2/3 व प्रतिवादी/अपीलांट को 1/3 हिस्सा दर्ज किया। वादी/रेस्पोडेंट को 2/3 हिस्सा दर्ज किया जाने के विषय में अधीनस्थ न्यायालय ने कुछ नहीं कहा। लोक अदालत में निर्णय गलत हुआ। प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम पर कोई निर्णय नहीं किया गया। अपील पेश कर निवेदन है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार का निर्णय व डिकी दिनांक 18.05.2016 को अपास्त किया जाकर वाद पत्र के काउंटर क्लेम में चाहा गया अनुतोष अपीलांट को दिलाया जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया। दिनांक 08.07.2014 की आदेशिका से स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया गया। दिनांक 04.08.2015 को वादी द्वारा काउण्टर क्लेम का जवाब भी पेश किया गया। दिनांक 17.08.2015 को तनकीयात कायम की गयी। तत्पश्चात पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत थी। लेकिन दिनांक 10.05.2016 को प्रकरण लोक अदालत में रखकर निर्णित कर दिया गया। लोक अदालत में आपसी सहमति अथवा राजीनामे के आधार पर ही प्रकरण का निर्णय किया जाना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में वाद का निर्णय ना तो आपसी सहमति से किया गया, ना ही गुणावगुण के आधार पर किया गया। प्रकरण में तनकीयात कायम हो चुकी थी। अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्ष को साक्ष्य का अवसर देते हुए गुणावगुण पर निर्णय करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फोरी तौर पर निर्णय पारित कर त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के काउण्टर क्लेम का निर्णय भी नहीं किया गया जो त्रुटिपूर्ण है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं होने तथा त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.05.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सी. पी. सी के नियमों के अनुसार समुचित रूप से सम्मन तामील कर, उभयपक्षकारान के वाद एवं काउंटर क्लेम पर सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से तनकीयात कायम कर तनकीवार विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.08.2024 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/06/24

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा